आदेश

अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1169/III(2)/12-03(बजट)/2012, लो0नि0वि0 अनुभाग-2 दिनांक 16.04.2012 के द्वारा लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग की जिला योजना के अन्तर्गत मार्ग/सेतु कार्य हेतु ₹ 1437.35 लाख (चौदह करोड सैंतीस लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र) का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। शासनादेश संख्या 56/II(2)05-47 (बजट)/2005 दिनांक 17.01.2006 के अनुसार 3.50 x अनुमोदित परिव्यय - 01.04.2012 का अवशेष अर्थात 3.50 x 1437.35 -- 1001.99 = ₹ 4028.7 लाख की सीमा तक के नये कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक 28.07.2012 को माननीय प्रभारी मंत्री जनपद रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय तथा मा0 जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त (अर्थ एवं संख्याधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्रांक 499/जिला योजना/2012-13 दिनांक 29.08.2012 के साथ संलग्न अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार) संलग्न 175 नये कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 4028.74 लाख (चालीस करोड़ अट्ठाईस लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र) रूपये की निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है. (संलग्न अर्थ एवं संख्याधिकारी का पत्र)।

शर्तें:-

1. जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना समिति के द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं के अनुरूप ही किया जायेगा।

2. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता तथा समस्त वित्तीय व्यय हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

3. स्वीकृत धनराशि का ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न किया जाय जिसके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा योजना विवाद ग्रस्त हो।

4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. यह सुनिश्चित कर ली जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय क्योंकि इस प्रकरण के कार्य वार्षिक आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं तथा 18 माह में पूर्ण होने वाले कार्यों में अनुमानित लागत के बाद किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का प्राविधान नहीं है।

6. उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जाय तथा मासिक आवश्यकतानुसार तीन सामान्य किश्तों में कोषागार से आहरण किया जाय।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31.03.2013 तक कर इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि संकलित रिपोर्ट समय-समय शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

Photo Copy Attested,

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

क्रमशः--2 पर

8. स्थलीय वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार यदि जिला योजना समिति के सदस्यों द्वारा योजनाओं के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से संशोधित किया जायेगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 22 लेखा शीर्षक 5054 सड़कें तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत 800–अन्य व्यय 91 जिला योजना 00–24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग 1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 193/XXXVII(1)/2 दि0 30.03.2012 के क्रम में अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के सं0 1169/III(2)/12–03(बजट)/2012, लो0नि0वि0 अनुभाग–2 दिनांक 18.04.2012 में उल्लि निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

11. उपर्युक्त वर्णित शर्तों (क्रम संख्या 1 से 10 तक) का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

सलंग्न :– यथोक्त

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

(नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

पत्र सं0 532/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2012–2013 दि0 ....9.......20

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री, जनपद रूद्रप्रयाग को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
9. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 100/6 नेशविला रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर
13. मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
14. जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
15. जिला सूचना अधिकारी (एन0आई0सी0) रूद्रप्रयाग।
16. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
17. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
18. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित नये कार्यों का विवरण धनराशि

क्र0सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई / स्पान	लागत (लाख में
1	2	3	5
31	काण्डई–कमोल्डी–मोलखाखाल मोटर मार्ग के किमी0 2 व 3 में डा रीकरण के अ ष कार्य	1.00	12.00
32	मोहनखाल–बाडव मोटर मार्ग के कि.मी. 0.500 से 1.800 तक डाम करण कार्य।	1.30	31.20
33	जी0आई0सी0 रूद्रप्रयाग के पहुच मार्ग हेतु अवशेष कार्य	L.S.	5.00
34	रतूडा–पोखरी–भुनका मोटर मार्ग के किमी0 2 के अवशेष कार्य एवं तिकर	L.S.	7.00
35	दुर्गाधार–बावई मोटर मार्ग का डामरीकरण किमी0 2.50 से 3.25 तक कल्वर्ट सहित	0.75	33.00
36	लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर व आवासीय परिसर में फेंसिंग का का	L.S.	15.00
37	तहसील रूद्रप्रयाग परिसर में फेंसिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य	L.S.	8.00
38	घटूडी–रूमसी–छेला काफल से चन्द्रेश्वर पैदल रास्ते का निर्माण	3.00	27.00
39	धारकोट श्मशान से कंडेरा तक पैदल सी0सी0 मार्ग निर्माण	L.S.	10.00
40	अगस्त्यमुनि ब्लॉक पहुच मार्ग व नाली निर्माण	L.S.	10.00
41	अगस्त्यमुनि हॉस्पिटल से घाट तक पैदल रास्ते का निर्माण।	L.S.	5.00
42	जागतोली के सिल गधेरे में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	15 mtr	19.50
43	घतोडा गधेरे तोक में तलगढ़ गांव को दशज्यूला से जोडने वाले जीर्ण – शीर्ण पैद पुलिया का नव निर्माण	6 mtr	7.80
44	ग्राम सभा चमस्वाडा के घट गधेरे पर पुल का निर्माण	15 mtr	19.50
45	विजराकोट–पडमण्डा गधेरे पर पुलिया का निर्माण	18 mtr	23.40
46	वैंजी काण्डई के दोणी गधेरा पर पुलिया का निर्माण	15 mtr	19.50
47	गन्धारी–गडमिल मोटर मार्ग पर 18 मीटर स्पान की मोटर पुलिया का निर्माण	18.00	36.00
48	फतेहपुर के पास बछणगाड पर 15 मीटर स्पान की पैदल पुलिया	15 mtr	19.50
49	पट्टी लस्या के ग्राम उछना के अन्तर्गत भैंचल नामे तोक से उछना तक सडक नि ण।	3.00	37.80
50	घनसाली–मयाली मोटर मार्ग पर स्थित कुटमुण पुल से उछना भैंचल तक सडक नि णि	5.00	63.00
51	पट्टी लस्या के अन्तर्गत गोर्ती त्यूंखर वाली रौड पर धानियों से धनोली गांव तक टर मार्ग का निर्माण।	5.00	63.00
52	रतनपुर–दरमोला मोटर मार्ग से ग्राम सेम–स्वीली–डूंगरी हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2.50	31.50
53	माई की मुण्डी जवाडी बाईपास से काला पहाड–भेंट–थापली–खीड़ा तक मोटर मा का निर्माण	2.00	25.20
54	गोरपा रा0इ0का0 कैलाशनगर हेतु हुए अनुसूचित बस्ती बडडुवाल – फार्म–भौंसा – छकुण्डागाड तक मोटर मार्ग	1.00	12.60
55	त्यूंखर–भिलणी मोटर मार्ग का विस्तार	0.25	3.15
56	बैनोली से रिंगेड तक मोटर मार्ग	1.50	18.90
57	सुमाडी गांव में मोटर मार्ग का विस्तार	0.15	5.79
58	तल्ला कुरछोला से मल्ला कुरछोला तक मोटर मार्ग	1.50	57.90
59	चाका – बुडोली मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60
60	तिरसोली मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60
61	मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली आयुर्वेदिक चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली– उछोला–माना मोटर मार्ग	1.00	12.60

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag